धारणीय विकास और करारोपण में नवाचार

अजय कुमार नावरे[1], बांसती मैथ्यू[2]
[1]शोधार्थी, रबीन्द्रनाथ टैगोरे विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत
[2]विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, रबीन्द्रनाथ टैगोरे विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

सारांश
धारणीय विकास से आशय भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों की अनदेखी ना करते हुए वर्तमान मांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन लाना है। सतत आर्थिक विकास में प्रत्येक आर्थिक पहलू में परिवर्तन या विकास के साथ–साथ शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय पर जोर दिया जाता है। जिससे जीवन में गुणवत्ता पर वृद्धि होती है। सतत विकास में ऐसी उत्पादन तकनीकी को अपनाया जाए, जिससे पर्यावरणीय तंत्र को कोई नुकसान ना पहुंचे। कराधान एक अनिवार्य शुल्क या वित्तीय शुल्क है, जो सरकार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर राजस्व जुटाने के लिए लगाया जाता है जमा हुई राशि को विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। सामाजिक उद्देश्य जैसे आय व संपत्ति की असमानता को कम कर के उच्च रोजगार के अवसर प्राप्त करने तथा आर्थिक स्थिरता व वृद्धि प्राप्त करने में सहायक होता है।

I प्रस्तावना

सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में कराधान एक मौलिक भूमिका निभाता है। आधुनिक प्रगतिशील कर प्रणालियां, कर नीति और आधुनिक कुशल कर संग्रह प्रक्रियाएं विशेष रूप से एक डिजिटल और वैश्विक कर प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के विकास को, अपना समर्थन दे सकती हैं। करारोपण के माध्यम से व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना,जैव विविधता संरक्षण,गरीबी को कम करने तथा घरेलू राजस्व को स्थिर करने में संतुलित कर व्यवस्था महत्ती भूमिका निभाती है। राजकोषीय नीति या असमान्यताओं को कम करने और किसी को पीछे ना छोड़ने के व्यापक उद्देश्य में योगदान दे सकती है। हम कराधान में नवाचार व संतुलित प्रणाली को अपनाकर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को रियायत देकर,महिला उद्यमी को रियायत देकर, नवीनीकरण ऊर्जा के उत्पादन में घरेलू और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करके स्थानीय पर्यावरण को अधिक किफायती, स्वच्छ बना सकते हैं।

II कराधान के आधुनिकीकरण के विभिन्न पहलू

सरकारी नवाचार के माध्यम से कराधान प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया जा सकता है। कराधान में सुधार के लिए कर नीतियों के मिश्रण को अपनाने और उन्हें लागू करने के लिए प्रशासनिक क्षमता को विकसित करने के साथ–साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होगी, नीति निर्माताओं को विशिष्ट आर्थिक समर्थन के लिए कर नीतियों का आकलन और डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण में निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है:–

(क) कर अधिकारियों को प्रकटीकरण और पारदर्शी नियमों को बढ़ाना और अवैध वित्तीय प्रवाह को कम करने के लिए प्रतिबंध होने की आवश्यकता है। कराधान में नवाचार के बारे में सोचने के लिए एक जीवित प्रयोगशाला होना चाहिए और उसका निरंतर कार्य अपने निवासियों के लिए स्थाई, सामान विकास और कल्याण के प्रयासों को महत्व देते हुए, निरंतर कार्य करते रहे, नवाचार लाने के लिए हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व वैश्विक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जानकारी इकट्ठा करके कर कानूनों की स्थापना की जाए, साथ ही नवाचार और समानता के बीच संतुलन हेतु निरंतर प्रयासरत रहे।

(ख) हालांकि कराधान प्रणाली को विशिष्ट चुनौतियों की एक संख्या का सामना करना पड़ता है सरकार को प्राथमिकता के आधार पर संतुलन बनाना होता है और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करके कराधान के लिए विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए मॉडल पर ध्यान केंद्रित करना होगा साथ ही जनता को स्वास्थ्य कराधान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होगा।

(ग) करों का निर्धारण करते समय जनसांख्यिकीय बदलाव के विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या की उम्र, करदाता पर अन्य की निर्भरता, लिंग समानता,कम जन्म दर,प्रवासन आदि को ध्यान में रखकर कर संरचना का निर्धारण करना होगा।

(घ) जलवायु संकट में प्राकृतिक क्षेत्रों की रक्षा और पुनर्स्थापना दोनों की आवश्यकता है साथ ही अधिक टिकाऊ उत्पादन की दिशा में अर्थव्यवस्था के पुनर्संचाचना के माध्यम से जलवायु जोखिमों को दूर करने की आवश्यकता है। कर संरचना में सुधार एवं नवाचार लाने के लिए आर्थिक लचीलापन,हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा,अधिक समावेशी बनाने और नए उद्यमियों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। कई कम आय वाले देशों में, कर राजस्व नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारे सतत विकास के लक्ष्यों की दिशा में प्रयास करती है। कर अनुपालन में नवाचार का उद्देश्य कर सुधार के समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से प्रवर्तन, सुविधा और विश्वास के साथ चलना होंगा । हमें यह सोचना होगा कि कैसे करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विश्वास बढ़े और उसके लिए समग्र रणनीति, उच्चआत्म बल के कर सुधार प्रक्रिया को लागू किया जाए।

(च) कराधान प्रक्रिया में नवाचार के अंतर्गत निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना ताकि राजस्व में वृद्धि हो सके, राजकीय क्षमता का विकास हो सके, हमेशा कर सुधारों के लिए सरकारे तत्पर रहे अंततः नागरिकों और सरकारों के बीच मजबूत वित्तीय अनुबंध तैयार हो। कर आधार को गहरा करके घरेलू

संसाधनों को जुटाना,बाहरी फंडिंग पर देश की निर्भरता को कम करना जैसे अंतरराष्ट्रीय सहायता, विकास सहायता और विदेशी उधार।

III पर्यावरण कराधान की सीमाएं, चुनौतियां तथा समाधान

पर्यावरण संबंधी कराधान नई प्रौद्योगिक के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करता है। साथ ही प्रदूषण घटकों के निपटारे के उपायों को प्रोत्साहित करने के अलावा पर्यावरण की दृष्टि से शिथिलता के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान कर सकता है। हम फर्म और उपभोक्ता प्रदूषण पर लगाए गए मूल्यों के जवाब में स्वच्छ समाधान चाहते हैं, ये प्रोत्साहन या तो प्रदूषण द्वारा या तीसरे पक्ष के नव प्रवर्तक और हल्के पर्यावरणीय पद चिन्ह के साथ प्रौद्योगिकियो और उपभोक्ता उत्पादों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों में निवेश करने के लिए तत्पर हो। इसमें निम्नलिखित सीमाएं तथा चुनौतियां हैं :–

(क) सबसे पहले पर्यावरणीय कराधान (मोटर वाहन ईंधन के अलावा) का उपयोग अभी अपेक्षाकृत नया है, जो व्यापक विश्लेषण के लिए सीमित गुंजाईश प्रदान करता है।

(ख) दूसराः– पर्यावरण संबंधी कराधान के नवाचार प्रभावों की जांच अन्य पर्यावरण नीति उपकरणों की तुलना में काफी अधिक कठिन है। पर्यावरण नीति के लिए विनियमक काफी अधिक कठिन होते हैं और निर्देशात्मक होते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों या प्रदूषको पर लक्षित होते हैं। जिसमें किसी भी प्रभाव का पता लगाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इसके विपरीत कर उपकरणों का प्रयोग करने का बहुत ही लाभ यह है कि कई विविध नवा चारों को बढ़ावा देते हैं इसलिए कराधान द्वारा श्रजित प्रोत्साहनों से उत्पन्न होने वाले संभावित नवाचारों का पता लगाना और उनकी पहचान करना कहीं अधिक कठिन होता है।

(ग) तीसराः–पर्यावरणीय रूप से संबंधित करो को अच्छे से डिजाइन नहीं किया गया है अंत में कई अन्य कारक फर्मो के नवाचार प्रयासों को प्रभावित करते हैं। सीमित डाटा उपलब्धता के साथ इसे सुलझाना मुश्किल हो सकता है।

पर्यावरण संबंधी कराधान की डिजाइन करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कर का स्तर एल महत्वपूर्ण कारक है। दर जितनी अधिक होंगी ,नवाचार के लिए प्रोत्साहन उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कर और अन्य पर्यावरण नीति उपकरण पूरक हो सकते हैं। अच्छी तरह से डिजाइन किए गए कर पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर एक स्पष्ट कीमत देते हैं इसलिए पर्यावरण की समस्या को दूर करना होगा हालांकि कुछ बाधाओं के लिए पूरक नीति उपायों की आवश्यकता हो सकती है। उपभोक्ताओं में लंबी अवधि में अपनी खरीद के पूर्ण प्रभाव के बारे में पता नहीं हो सकता। इस प्रकार सूचना अभियान और पर्यावरण संबंधी कराधान पूरक और इसके प्रभाव को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

कई देशों में व्यापक नवाचार नीतियां है हालांकि उनके रूप भिन्न–भिन्न हो सकते हैं इनमें विश्वविद्यालयों और शोधकर्ताओं को समर्थन, अनुसंधान और विकास के लिए इनपूट का अकुशलन कर उपचार और नवाचार की व्यवस्था की जा सकती है।

IV निष्कर्ष तथा सुझाव

अंततः हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष कर ही कारक है जो बचत और निवेश को प्रभावित करता है और लोग एवं निजी निवेश के बीच तालमेल बिठाता है। जहां लोग निवेश में वृद्धि होती है वहीं निजी निवेश भी बढ़ता है भारतीय कर संरचना में बहुत महत्वपूर्ण है, आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्ष करो से राजस्व में कमी आ रही है। इसलिए कर संरचना को परिवर्तित कर उनमें नवाचार की आवश्यकता है। करो में विधिक एवं प्रशासनिक नवाचारों की जरूरत होती है।

आधुनिक लोकवित्त नीतियों में कर संरचना में परिवर्तन करके विविधता लानी होंगी ताकि सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। निगमीय व गैरनिगमीय करो में भिन्नता उत्पन्न करके आर्थिक केंद्रीकरण से आर्थिक केंद्रीय करण की तरह जाना होगा।

भारतीय कर संरचना में आम आदमी, कम आय वालो पर कर के रोपण की दर कम करके निगम कर में वृद्धि कर के राजस्व को संतुलित करना होगा। साथी प्रत्यक्ष कर प्रणाली को स्पष्ट और सरल करके व प्रक्रिया में विकास करने की जरूरत है। करो कि दरों की वृद्धि करने की बजाय नएकर क्षेत्रों की पहचान करनी होंगी। साथ ही कुछ लोग जो करो कि मार से मर रहे हैं उन्हें कर वंचना से मुक्त करने की आवश्यकता है। राजकोषीय नीति में ऐसे प्रावधान करने होंगे जो ऐसा वातावरण कर निर्माण कर सकें जिससे करो कि भुगतान करने में समस्या उत्पन्न ना हो यह प्रक्रिया दीर्घकालीन रूप ले सके, क्योंकि भारतीय करदाता करो का निर्धारण आसानी से नहीं कर सकता और कर की चोरी करना प्रारंभ कर देता है। करो में सतत विकास जो लंबे समय तक चले जिससे संस्थागत आयाम स्पष्ट हो, उसके लिए करदाता के साथ मित्रता और आसान तरीके से पेश आना होगा।

संदर्भ सूची

[1] निगमित कर नियोजन डॉक्टर एच.सी मेहरोत्रा

[2] कराधान विधान एवं लेखे डॉक्टर एच.सी मेहरोत्रा

[3] अब्दुल हलीम. हैलियान वॉल्यूम, दिसंबर 2022

[4] रमुना मारा रोमानिया आईएसबीएन 978183768914 द्वितीय एडिशन

[5] Chapter 4 Tax Design Consideration 2010

[6] International Journal Of Innovation 6.Issue 4 Dec.2022